न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

निगरानी प्रकरण सं0 14/2014 दायर दिनांक 11.11.14

अनवान :-

1. रणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट भरवाना तहसील भादरा।
2. दलीप पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
3. मुकेश पुत्र राजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
4. बन्तसिंह पुत्र बनवारीलाल जाति गुजर साकिन भरवाना तहसील भादरा।
5. लालचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा
2. ग्राम पंचायत भरवाना पंचायत समिति भादरा जरिये सरपंच एंव पदेन सचिव
3. प्रहलाद सिंह पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. राजकुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
5. पालाराम पुत्र सोहनलाल जाति खाती साकिन भरवाना तहसील भादरा।
6. बजरंगलाल पुत्र राजेराम जाति छींपा साकिन भरवाना तहसील भादरा।
7. भोलाराम पुत्र तोंखराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— असल अप्रार्थीगण

8. जनकू पुत्र बले खां जाति लिलगर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. लिलूराम पुत्र इन्द्राज जाति नाई साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. जितराम पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. बनवानी पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. जैतुन पत्नि जाकीर जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. कुलदीप पुत्र बनवारी जाति गुजर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. बनवारी पुत्र श्योकरण जाति गुजर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. साकर अली पुत्र खैरदीन जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

16. आमीन पुत्र खैरदीन जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. माडू खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
18. महेन्द्रसिंह पुत्र नेकीराम जाति जोगी साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
19. गफुर खां पुत्र रूकनदीन जाति लिलगर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
20. यासीन पुत्र समालदीन जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
21. केहराज पुत्र श्योचंद जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
22. बनवारी पुत्र मामचंद जाति खाती साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
23. कमला पत्नी नागर जाति भाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
24. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
25. विक्रम पुत्र भुपसिंह जाति नाई साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
26. कुरडाराम पुत्र मुन्शीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
27. दलीप पुत्र बालुराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
28. यासीन पुत्र खैरदीन जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
29. जीवाराम पुत्र चिमनाराम जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
30. विक्रम पुत्र महावीर जाति गुजर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
31. महेन्द्र पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
32. रामस्वरूप पुत्र रेडाराम जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
33. अजमेर पुत्र शिशपाल जाति धानक साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
34. मांगेराम पुत्र तिलोकराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
35. गोपीराम पुत्र जगराम जाति गुजर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
36. हजारी पुत्र अमीचन्द जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
37. भूपसिंह पुत्र इन्द्राज जाति नाई साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
38. सुरेश पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
39. धर्मपाल पुत्र जुगलाल जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
40. विक्रम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
41. औमप्रकाश पुत्र लखीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
42. प्रदीप पुत्र मोहर सिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

43. सरजीत पुत्र आदराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
44. जयसिंह पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
45. मक्खन सिंह पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
46. सुरेश पुत्र महावीर जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
47. गुरचरण पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
48. सतवीर पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
49. दुनीराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
50. नत्थुराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
51. नेकीराम पुत्र रामधन जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
52. निहालसिंह पुत्र कृष्ण जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
53. दोलतराम पुत्र तुलछाराम जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
54. मकबुलपुत्र कालुखां जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
55. अमीन पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
56. सुल्तान पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
57. अलीयास पुत्र रूकनदीन जाति लिलगर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
58. भंवरखां पुत्र खुशीमोहम्मद जाति लिलगर साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
59. आत्माराम पुत्र सुल्तान जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
60. भालसिंह पुत्र चिमनाराम जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
61. ज्ञानसिंह पुत्र रामधन जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
62. द्रोपती पत्नी मोमनराम जाति शर्मा साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
63. बाधो पत्नी हेतराम जाति धानक साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
64. भंवरी पत्नी हनुमान जाति मेघवाल साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
65. सुलेश पत्नी बन्तसिंह जाति बटार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
66. सरजीत पुत्र मनसुख जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
67. चन्द्रकला पत्नी औमप्रकाश जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
68. गौरीशंकर पुत्र आसराम जाति चमार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
69. महेन्द्र पुत्र दयालाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

70. धर्मपाल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
71. भीमसिंह पुत्र तुलछीराम जाति नाई साकिन भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
72. रमेश पुत्र गोपीराम जाति नाई साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
73. काशीराम पुत्र जुगलाल जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
74. पवन पुत्र दलीपसिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
75. बाधोदेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
76. दारासिंह पुत्र दारासिह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
77. कलावती पत्नी रास्वरूप जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा दिनांक 07.10.2014 को अपास्त करने बाबत।

उपस्थितः— श्री हरीसिंह सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मदन मोहन जोशी, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय — दिनांक 16.11.2017

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि :—

यह कि अप्रार्थी सं. 3 से 7 ने एक अपील सं. 59/13 अनवानी प्रहलादसिह आदि बनाम ग्राम पंचायत भरवाना आदि विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा मे इस कथन के साथ प्रस्तुत की, कि ग्राम पंचायत भरवाना को सन् 1960 में राज्य सरकार द्वारा चक नं. 8 डी.पी.एन. में 15 बिघा कृषि भूमि आवंटन की गई थी जिसको सन् 2001 में राजस्व अभियान के संघ में सरपंच द्वारा आबादी भूमि में परिवर्तन करवा लिया था। तथा इस भूमि पर सामुदायिक भवन, पचायत भवन, पशुचिकित्सालय तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदि के निःशुल्क पट्टे जारी किये हुए है तथा यह भी कथन किया कि इस भूमि ग्राम पंचायत भरवाना द्वारा अवैध रूप

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम से पट्टे जारी कर दिये गये है जो खारिज किये जावे।

यह कि अपील 25.02.2013 को प्रशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसके आगामी मीटिंग दिनांक 12.03.2013 प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश किया गया तथा प्रसासन एवं स्थापना स्थाई समिति द्वार दिनांक 19.12.2013 को निर्णय लिया गया कि इन पट्टो से संबंधित ग्राम पंचायत से रिपोर्ट ली जावे। इसके बाद में दिनांक 21.07. 2017 को इस अपील में जबावदावा पेश करने हेतु नोटिस जारी करने का आदेश हुआ। इसके बाद समिति द्वारा इस अपील में पट्टेधारियो की भूमि भौतिक सत्यापन कब्जे संबंधी करने का आदेश दिनांक 08.09.2014 को दिया गया। इसके पश्चात प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा इस अपील में दिनांक 07.10.2014 को उपरोक्त आदेशिकाओं के आदेशों की पालना किये बिना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वैच्छिक रूप से निगरानी कृत यह निर्णय पारित कर बिना विधिक रूप से प्रस्ताव पारित किये इस अपील में दर्ज रेस्पो. सं. 20,28,61,63,64,65 के अलावा समस्त गाव भरवाना के निवासीगण के पट्टे खारिज करने का यह आलेच्य निर्णय पारित किया जिससे पीडित होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

1. यह कि प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा अपील सं. 59/13 में दिनांक 07.10.2014 को पारित यह निर्णय कतई बैशुद व खिलाफ कानून व बिना तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल खारिजी के है।
2. यह कि यह भूमि ग्राम पंचायत भरवाना की आबादी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि है और ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में रिहायश हेतु भूमि विक्रय करने व पट्टे जारी करने का पूर्ण अधिकार है। ग्राम पंचायत भरवाना द्वारा पूर्ण तथा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये गये है पट्टे बनाने से पूर्व प्रार्थना पत्र आया जिस पर पत्रावली खोली गई ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लिये गये पंचों की मौका रिपोर्ट ली गई नक्शा मौका तैयार करवाया गया व विक्रय किये जाने वाले भूखण्ड की आपत्तिया मांगने की सूचना जारी की गई। पुरी पत्रावली पर विधिक कार्यवाही की जाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 05.06. 2012 की अनुपालना में प्रार्थीगणा व तरतीबी अप्राथीगण को नियमानुसार राशि जमा करवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जाकर विधिनुकुल पट्टे जारी किये गये। इसलिए पंचायत समिति भादरा यह निर्णय काबिल निरस्ती के है।

3. यह कि पंचायत समिति भादरा में अपीलकर्ता अप्रार्थी सं. 3 से 7 किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से पीडित पक्षकार नही है तथा ना ही उन्हें यह अपील करने का अधिकार प्राप्त था ना ही अपील अन्दर मियाद पेश की गई थीं। पंचायत समिति में अपील ग्राम पंचायत भरवाना के किसी प्रस्ताव या आदेश के खिलाफ नही पेश की गइ ओर ना ही अपील के साथ ग्राम पंचायत भरवाना के किसी फैसला की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई है। इन बिन्दुओं पर प्रशासन एंव स्थापना समिति न कोई गौर ना कर कानूनी भूल की है। इस आधार पर पंचायत समिति का निर्णय काबिल खारिजी के है।

4. यह कि भूमि ग्राम पंचायत भरवाना की आबादी भूमि हे तथा इस में ग्राम वासियों को आवास हेतु भूमि देना ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है जो ग्राम वासियों की सुविधानुसार नक्शा बनाकर पट्टे जारी किये जा सकते है। योजना अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना आवश्यक नही है तथा आवासीय भूमि का पट्टा निलामी प्रक्रिया के अलावा भी ग्राम पंचायत जारी करने में सक्षम है तथा हर वर्ग के व्यक्ति को ग्राम पंचायत भरवाना द्वारा ये आबादी भूमि के नियमानुसार पट्टे जारी किये है तथा पुरी किमत लगाई गई है अगर डीएलसी रेट से किसी निवासी से राशि कर ली गई है तो उसमें पट्टे धारी का कोई दोष नही है यह अनियमितत पंचायत की हो सकती है ना कि पट्टो का असवैधानिकता।

5. यह कि पंचायत समिति भादरा द्वारा यह निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो इन पट्टो की बाबत ग्राम पंचायत भरवाना का रिकार्ड मंगवाया गया और ना ही मौका निरिक्षण हेतु कोई मौका कमेटी गठित कर मौका की कोई रिपोर्ट मंगवायी गयी है केवल मात्र पंचायत के सचिव की अधुरी अस्पष्ट व गलत रिपोर्ट को आधार मानकर यह निर्णय पारित कर गांव के 80 घरों के वैध पट्टे खारिज कर पट्टेधारियों द्वारा जमा पट्टो की करीब एक करोड बीस लाख रूप्यों का नुकसान किया है इसलिए यह निर्णय काबिल खारिजी के है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 8 से 77 व प्रार्थी का हित व अनुतोष एक ही है जो निगरानी में किसी भी समय प्रार्थीगण बनाये जा सकतें है। अप्रार्थी सं. 1 से 7 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है। निर्णय पंचायत समिति दिनांक 07.10.2014 जिससे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 8 से 77 के पट्टे खारिज किये गये निर्णय को अपास्त फरमाया जाकर पट्टे बहाल करने का आदेश फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण व रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रिकार्ड प्राप्त। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 से 7 ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत की ग्राम पंचायत भरवाना को सन् 1960 में राज्य सरकार द्वारा चक 8 डीपीएन 15 बीघा कृषि भूमि आवंटन की गई थी जिसको ग्राम पंचायत द्वारा सन् 2001 में आबादी भूमि में परिवर्तित करवा लिया व उक्त भूमि में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, पशुचिकित्सालय, राजीवगांधी सेवा केन्द्र आदि के निःशुल्क पट्टे जारी किये गये थे तथा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम से पट्टे जारी कर दिये। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थीगण को तलब किया गया व ग्राम पंचायत की रिपोर्ट व अपील का जबाव एवं पट्टेधारियों की भूमि का भौतिक सत्यापन करने के आदेश प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति ने दिए परन्तु उक्त आदेशों की पालना किये बिना व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए यह निर्णय पारित कर दिया। जिसमें अपील में दर्ज रेस्पो. सं. 20,28,61,63,64,65 के अलावा समस्त ग्राम भरवाना निवासी के पट्टे खारिज करने का आदेश दिया है जबकि उक्त आदेश खिलाफ कानून है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का पूर्ण है। ग्राम पंचायत ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये है। पट्टे जारी करने से पूर्व संबंधित का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, पत्रावली भी खोली गई है। पत्रावली में समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही नियमानुसार राशि जमा करवाई जाकर विधि अनुकुल पट्टे जारी किये गये है। यह भी कथन किया कि अपीलकर्ता ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से पीडित पक्षकार भी नही थे तथा ना ही उन्हे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त था। अपील अन्दर मियाद भी प्रस्तुत नही की गई। मियाद अधिनियम पर कोई सुनवाई भी नही की गई। ना ही ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तथ्य पर गौर नही किया। ग्राम पंचायत आबादी भूमि में पट्टे दे सकती है। आवासिय भूमि का पट्टा निलामी प्रक्रिया के अलावा ग्राम पंचायत जारी करने में सक्षम है। पट्टों में पुरी कीमत लगाई है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पट्टो पर डी.एल.सी. दर नही लगाई जा सकती, केवल पंचायत द्वारा निर्धारित दर पर ही पट्टे जारी किये जा सकते है, निलामी में राशि कम ज्यादा हो सकती है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम 158 के अनुसार आवासहिन गरीब व्यक्तियों व अनुसूचित जाती व जनजाती पिछडे वर्ग आदि को निःशुल्क व रियायती दर पर भूखण्ड का विक्रय किया गया है जो वैध है। पंचायत समिति ने ना तो ग्राम पंचायत से पट्टो रिकार्ड मंगवाया ना ही मौका कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवाई। पंचायत सचिव के अधुरी व अस्पष्ट गलत रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जिससे 80 वैध पट्टे खारिज कर पट्टाधारियों को 1 करोड 20 लाख रू. का नुकसान किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10. 2014 खारिज फरमाते हुए अप्रार्थी सं. 8 से 77 के पट्टे बहाल फरमावें।

वकील अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया सर्वप्रथम तो जिस भूमि में ग्राम पंचात ने पट्टे जारी किये है वह भूमि अभी तक आबादी में परिवर्तित नही है। तत्कालीन सरपंच द्वारा गुपचुप तरीके से बिना किसी सार्वजनिक सूचना जारी किये पट्टे जारी किये है। पट्टा जारी करने के लिए पंचायतीराज अधिनियम 141 व 156 तक की पालना नही की गई तथा सरपंच ने उक्त पट्टे अपने परिवार के सदस्यों व पंचो के रिश्तेदारों के नाम से जारी किये जो निजी स्वार्थ के लिए जारी किये है। ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी करने हेतु कोई विधिक प्रक्रिया नही अपनाई ना ही आवेदको से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित रजिस्टर में इन्द्राज किया व ना ही निलामी हेतु पांच सदस्यी कमेटी का गठन किया। ग्राम पंचायत आबादी भूमि के विस्तार हेतु भूमि आवंटन होने/विस्तार हेतु प्राप्त होने पर नियम 142 के अनुसार विकास योजना तैयार कर व अनुमोदित करवाने के पश्चात ही पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है। ग्राम पंचायत अगर खुली निलामी से भूखण्डों का विक्रय करती तो ग्राम पंचायत को अधिक आय होती। नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में 300 वर्गगज तक के अनुसुचित जाति/जनजाती/स्वच्छकार/पिछडे वर्ग/चयनित परिवार/विकलांग आदि आदि जिनके पास स्वयं के घर नही है उनको रियायती दर पर भूखण्ड करने का प्रावधान है। परन्तु प्रस्तुत पट्टो में सचिव द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नही की गई ना ही पट्टों पर विक्रय नही की मोहर लगाई गई जो आवश्यक थीं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की कोई पालना नही की गई। समस्त पट्टे विधिक प्रक्रिया की अवहेलना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

करते हुए जारी किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर विधिक निर्णय पारित किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में तत्कालीन सरपंच भरवाना रणवीर सिंह व सचिव सत्यनारायण शर्मा की शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जांच की गई थी। जांच में स्पष्ट लिख गया है कि सरपंच द्वारा 71 पट्टे कीमतन जारी किये गये है जिनमें पट्टाधारियों से डी.एल.सी. दर से कम राशि प्राप्त की गई है तथा इस संबंध में परिवाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो जयपुर में रणवीर सिंह सरपंच के विरूद्ध करवाया हुआ है जो विचाराधीन है तथा जांच में सरपंच द्वारा जारी पट्टो को विधि प्रावधानों के उल्लंघन में जारी करना व राजकोष को हानि पहुंचाने का उल्लेख किया है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। यह तथ्य तो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है कि ग्राम पंचायत भरवाना को भूमि आवंटन हुई जो आबादी भूमि हेतु स्वीकृत हुई। ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व अन्य ग्रामवासियों को आवासीय पट्टे जारी किये। उक्त आवासीय पट्टे जारी करने के लिए विधिक प्रक्रिया ग्राम पंचायत ने अपनाई या नही यह पट्टों की पत्रावलियों के अभाव में नही कहा जा सकता। ग्राम पंचायत का रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ। अपीलकर्ता पीड़ित पक्षकार नही होने के संबंध में यह तथ्य है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है, जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नही अपनाने का कथन किया गया है। यह तथ्य भी बिना पत्रावली के साबित नही हो सकता परन्तु नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन किये जा सकतें है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा देरी से अपील करने के संबंध में मियाद अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की दफा 5 का कोई उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी ग्रामवासियों के पट्टे खारिज करने का जो आदेश पारित किया गया है उसे विधि सम्मत नही कहा जा सकता। पट्टों को जारी करने के लिए भूमि की कीमत प्राप्त की गई थी जिसे लौटाने या ना लौटाने के संबंध में कोई आदेश नही दिया गया। अतः पट्टे खारिज करने से पूर्व सभी पट्टेधारियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलांट तृतीय पक्षकार है जिसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय की दफा 96 के तहत पूर्व स्वीकृति ली जानी आवश्यक थी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.10.2014 अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति भादरा को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि उपरोक्त विवेचन में दर्ज बिन्दुओं पर जांच कर सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए मियाद अधिनियम पर विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरितिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर